दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 14-06-2025

सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, अग्रिम जमानत नहीं

तीन पीड़ितों की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में दर्ज है केस

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बिलासपुर के तीन युवाओं से लाखों रुपए की ठगी करने के आरोपी की तीन अग्रिम जमानत याचिकाएं हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। संभावित गिरफ्तारी से बचने उसने तीन अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी।

नंद कुमार शांडिल्य, गोविंद चंद्र एवं संजीत टंडन ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गुरु शंकर दिव्य व कपिल गोस्वामी ने सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम ली। जांच के दौरान सह-आरोपियों के बयान में सक्ती के बाराद्वार निवासी ईश्वर चौहान का नाम सामने आया, जिसके बाद उसके विरुद्ध भी मामला दर्ज हुआ। उसने गिरफ्तारी से बचने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन लगाया था। राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से तीन केस दर्ज हैं। वह आदतन अपराधी है। सह आरोपी ऋषि नायक की अग्रिम जमानत भी पूर्व में खारिज हो चुकी है। आरोपी को अग्रिम जमानत देने से जांच प्रभावित होने की आशंका है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि आरोप गंभीर हैं। आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड पहले से मौजूद हैं और सह-आरोपियों की जमानत याचिकाएं पूर्व में खारिज की जा चुकी हैं। इन तथ्यों के आधार पर तीनों आवेदन खारिज कर दिए गए हैं।